



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2018 निगरानी II/किरानी/भिवंडी/शुक्र/2018/1392

वासुदेव पुत्र श्री मातादीन ब्राह्मण निवासी-
ग्राम खेरिया बाग उर्फ रामपुरा, तहसील
मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.)

--- आवेदक

जी.पी.नायक, ए.डी.

द्वारा आल 26-2-18

प्रस्तुत प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 6-3-18 नियत।

26-2-18

कलकत्ता उर्फ कोर्ट 26-2-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. नवल किशोर
2. रामकिशोर
3. रामलखन
4. शिवकुमार
5. विमल किशोर

समस्त पुत्रगण श्री रामसिया निवासी-ग्राम
नीमगांव

6. नन्दकिशोर पुत्र रामसिया फोट द्वारा वारिस
अ- श्रीमती प्रेमाबाई उर्फ गुडडी पत्नी श्री स्व.
श्री नन्दकिशोर

ब- हरिओम उर्फ घनश्याम

स- गिराज उर्फ सोनू दोनों पुत्रगण स्व. श्री
नन्दकिशोर समस्त निवासीगण-ग्राम
नीमगांव तहसील मेहगांव जिला भिण्ड

--- अनावेदकगण

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 विरुद्ध आदेश दिनांक 06-02-2018 प्रकरण

क्रमांक 64/17-18 अपील द्वारा पारित आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना

माननीय न्यायालय,

विनम्र आवेदन आवेदक की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

II। निग। निण्ड। क्र. २। २०। १८। १३९२
वासुदेव। नवम। किरा. २

— 2 —

२। ५। ११८

आवेदक अभिमान को सम्यक् सम्यक् पर
भावानुपलब्धि शक्ति को ही उपलब्ध
नहीं। अतः आवेदक एवं आवेदक-
अभिमान के अनुपलब्ध होने के कारण
पुनः आत्म परमात्मा शक्ति-
विद्या आदि। 

